न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरणसंख्या : 33 / 2020
दायरदिनांक : 06.07.2020

अनवान

1. भागुता पिता बरदा गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
2. हजारी पिता बरदा गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
3. धीसू पिता जवारा गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
4. प्रभु पिता जवारा गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
5. गोपाल पिता जवारा गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. हीरा पिता हरदेव गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
2. मगना पिता हरदेव गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
3. माधु पिता हरदेव गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
4. कल्ली पुत्री हरदेव पत्नि लादूलाल गुर्जर निवासी सावत जी का खेड़ा
5. सायर पुत्री हरदेव पत्नि जगन्नाथ गुर्जर सावत जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
6. नाना पुत्री हरदेव पत्नि रावत गुर्जर निवासी मखनगढ (श्रीनगर)तहसील माण्डलगढ
7. लादू पुत्र हजारी गुर्जर निवासी माला का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.02.2021

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माल का खेडा पटवार हल्का झंझोला में स्थित आराजी संख्या 159/147, 158/147, 156/147, 157/147 कृषि भूमि है। पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का एक मात्र कदीमी समय से रास्ता ग्राम माल का खेडा माण्डलगढ पटवार हल्का झंझोला से पूर्वी दिशा में स्थित रेकार्डेड पक्की सडक जो कि नाथ जी का खेडा से होकर ग्राम जस्सू जी का खेडा में पहुचती है उक्त पक्की सडक से दक्षिण दिशा मे स्थित ग्रेवल सडक जो कि ग्राम पंचायत झंझोला की आराजी नं. 146/125 रकबा 13 बीघा गेर मुमकिन आबादी भूमि है जिसमें स्थित ग्रेवल सडक है जो कि वर्तमान मे 15 से 20 फीट चोडा रास्ता मौजूद है। उक्त सडक आगे अन्य गांवो को जोडती है उक्त ग्रेवल सडक से प्रार्थी [illegible] कृषि भूमि मे पहुचने हेतु आराजी नं. 153/146 की उत्तरी मेर एवं आर0 न0 [illegible]/14[illegible] दक्षिणी मेर पर होकर आ0न0 147/48 बिलानाम काबिल [illegible] प्रार्थी अपनी आराजी न0 158/47, 156/147, 157/147 की उत्तरी मेर पर [illegible] अपनी भूमि मे पहुचते है एव प्रार्थी आ0 न0 159/147 की [illegible] मेर पर होकर अपनी भूमि मे पहुचता है उक्त रास्ता वर्तमान में चालू रास्ता है व मौके पर करीब 15 फीट चोडा [illegible] मोजूद है परन्तु विपक्षीगण द्वारा आराराजी नम्बर 153रु146, व 152/146 की उत्तरी दक्षिणी सीमा पर होकर गुजरने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिससे प्रार्थीया का अपनी जमीन पर पहुँचना असम्भव हो गया। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया की [illegible] भूमि आराजी संख्या 159/147, 158/147, 156/147, 157/147

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 153/146, 152/146 व 147/48 मे 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। मामले में अप्रार्थी संख्या 1,2,3,6 व 7 कि तामिल हो चूकी है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा जांच के दौरान उपस्थिति बाबत् सूचना पत्र दिया गया। मगर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा सूचना लेने से इन्कार किया। सूचना पत्र को मकान पर चस्पा किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 भूमिधारी तहसीलदार की ओर से पेराकार सरकार नायब तहसीलदार वक्त सूनवाई को उपस्थित है। जिसमें नोटिस तामिल होना शुमार है। इस प्रकार समस्त प्रकरण की सूचना हो चूकी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की सूनर्वाठ के दौरान अनुपस्थित रहना जाहिर करता है कि प्रार्थना पत्र के तथ्य स्वीकार है। एवं प्रतिरक्षण हेतु कुछ भी नही करना है। दिनांक 25.01.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम माल का खेड़ा पटवार हल्का झंझोला की आराजी संख्या 159/147, 158/147, 156/147, 157/147 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 153/146, 152/146 व 147/48 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मांगा गया रास्ता लघुतम है। उक्त आराजी पर पहुँचने के लिए सरकारी तथा अन्य रास्ता नही है। भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि 27 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जायेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 27 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक जिसमें 12 बिस्वा व बिलानाम में 15 बिस्वा भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 69053 रूपये प्रति बीघा से 41432 रूपये दुगुनी से 82864 रू. बनती है, व बिलानाम भूमि की डी.एल.सी. दर 48471 से 36354 दुगुनी दर 72707 रूपये कुल 155571 रू. बनता है।

पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–76, दिनांक 25.01.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर वर्तमान में आराजी संख्या 159/147, 158/147, 156/147, 157/147 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 153/146, 152/146 व 147/48 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 153/146, 152/146 व 147/48 से होकर गुजरना पड़ता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संशोधित अधिसूचना F3(2)rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(11)() के अनुसरण में ग्राम माल का खेड़ा पटवार हल्का झेझोला में प्रार्थी के आराजी संख्या 159/147, 158/147, 156/147, 157/147 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 153/146, 152/146 व 147/48 में से रास्ते हेतु मांग की है, भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि 27 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जायेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 27 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक जिसमें 12 बिस्वा व बिलानाम में 15 बिस्वा भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 69053 रूपये प्रति बीघा से 41432 रूपये दुगुनी से 82864 रू. बनती है, व बिलानाम भूमि की डी.एल.सी. दर [illegible] रूपये कुल 155571 रूप्ये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों को अदा किये जाने पर [illegible] द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–[illegible] गैमु0 रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया [illegible] रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदे[illegible]नुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावे।

आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:02 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ